भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1340
दिनांक 30 जुलाई, 2024/ 08 श्रावण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश (पुर्नगठन) अधिनियम, 2014

†1340. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश (पुनर्गठन) अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो 01-07-2024 तक उपरोक्त अधिनियम की 13वीं अनुसूची के तहत प्रत्येक पैरा के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ग) क्या पोलावरम परियोजना की संशोधित लागत समिति की हाल ही में तीसरी बार बैठक हुई है;
(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक का क्या परिणाम रहा; और
(ङ) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने वित्त मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत 12,911.15 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परियोजना के प्रथम चरण के लिए अतिरिक्त 2594.65 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के कई प्रावधानों को लागू कर दिया गया है और अधिनियम के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की तेरहवीं अनुसूची में प्रगणित/सूचीबद्ध अधिकांश शैक्षणिक संस्थान भी पूरे हो चुके हैं। शेष शैक्षिक संस्थाएं और अवसंरचना परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

गृह मंत्रालय, समय समय पर आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों तथा संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। अब तक, इस प्रकार की 34 समीक्षा बैठके हो चुकी हैं।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1340, दिनांक 30.07.2024

केंद्र सरकार का लगातार यह दृष्टिकोण रहा है कि द्विपक्षीय मुद्दे केवल सम्बंधित राज्य सरकारों के सहयोग से सुलझ सकते हैं और विवाद का सौहाद्रपूर्ण समाधान परस्पर सामंजस्य एवं समझ की भावना से करने के लिए केंद्र सरकार केवल सुविधा-प्रदाता के रूप मे कार्य करती है।

(ग) और (घ): जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकासऔर गंगा कायाकल्प विभाग ने परियोजना के चरण- । के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी)के संशोधित लागत अनुमान की जांच के लिए 19 अक्टूबर, 2023 को संशोधित लागत समिति (आरसीसी)का गठन किया है। आरसीसी ने मार्च, 2023 मूल्य स्तर पर पीआईपी के नुकसान की मरम्मत (2620.24 करोड़ रुपये) सहित चरण- । के लिए अनुमानित कुल लागत का आकलन 30,436.95 करोड़रुपये किया है।

(ङ): केंद्रीय जल आयोग ने पोलावरम सिंचाई परियोजनाके पहले चरण के लिए 31,625.38 करोड़ रुपये की संशोधित लागत तय की है।

****